



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127634

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19351/2026

भूरा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अंजली सिन्हा, राजेश कुमार दुबे, सत्य प्रकाश पांडे

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए,

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन मथुरा जिले के बलदेव थाना में धारा 80(2), 85 बीएनएस और डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला संख्या 257/2025 में आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक मृतक का ससुर है। आवेदक और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक के सभी परिवार सदस्यों को इस मामले में फंसाया गया है। कथित घटना 31.8.2025 को घटी थी, लेकिन विचार-विमर्श के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट 4.9.2025 को दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का अभियोजन पक्ष द्वारा कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी निवेदन किया जाता है कि मृतक को 31.8.2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मृतक के पति ने शिकायतकर्ता के परिवार

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को इसकी सूचना दे दी थी। मृतक की छोटी बहन आवेदक के घर में मौजूद थी और उसने आवेदक के परिवार सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। मृतक का कोई मृत्यु पूर्व बयान नहीं है और उसके शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं देखी गई है। मृतक ने अपने पति के साथ हुए विवाद के कारण टॉयलेट क्लीनर/एसिड का सेवन किया था। आवेदक एक बुजुर्ग व्यक्ति और मृतक का ससुर हैं और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मृतक की छोटी बहन, जो आवेदक की बहू भी है, ने कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का मामला मृतक के पति के मामले से भिन्न है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आवेदक 31.10.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के अपराध में संलिप्त होने के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. इस मामले में आरोपपत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन आवेदक या किसी अन्य सह-आरोपी के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव पर विचार करने के बाद और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध किया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक-भूरा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को निचली अदालत के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं./ 351 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय ट्रायल जज को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17 जून, 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।